न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 15/2020

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राणाराम
2. शान्ति देवी पत्नी श्री राणाराम
3. सुमन पुत्री श्री जवानाराम
4. सुरेश कुमार पुत्र श्री राणाराम
5. सरीता पुत्री श्री अलकाराम
6. राणाराम पुत्र श्री सोनाजी समस्त जाति–कलबी निवासी–गोदन तहसील आहोर जिला–जालोर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर,
2. छोगाराम पुत्र श्री नथाराम
3. जवानाराम पुत्र श्री नथाराम
4. निम्बाराम पुत्र श्री नथाराम
5. नगाराम पुत्र श्री नथाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री संजय खान, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री चुन्नीलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05.08.2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 20/2020 में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा एक वाद खातेदारी हक घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय में प्रस्तुत किया कि ग्राम गोदन तहसील आहोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के खसरा नम्बर 326 रकबा 1.80 हैक्टेयर खसरा नम्बर 402 रकबा 1.79 हैक्टेयर खसरा नम्बर 403 रकबा 1.00 हैक्टेयर खसरा नम्बर 404 रकबा 0.81 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त आराजी में अपीलाण्ट संख्या 01 से 05 प्रत्येक को 1/5 हिस्से पर खातेदारी अधिकार प्राप्त है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट संख्या 1 से 5 का नाम दर्ज है। तथा खसरा संख्या 991/327 रकबा 0.49 हैक्टेयर कृषि भूमि में अपीलाण्ट को सम्पूर्ण भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त है लेकिन राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट संख्या 06 का नाम केवल 1/2 हिस्से पर दर्ज है। उक्त आराजी के गत खसरा नम्बर 372 एवं 373 कुल क्षैत्रफल 40 बीघा थे, जो तत्समय तत्कालीन खातेदारों के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी एवं उसी अनुसार उनका कब्जा एवं काश्त था। भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारीयों द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान वर्णित आराजी का 8 बीघा 5 बीस्वा अर्थात 1.31 हैक्टर रकबा ग्राम गोदन के ही खसरा संख्या 332 क्षैत्रफल 7.76 हैक्टर के राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज कर दिया जबकि पूर्व में भी किसी प्रकार की नदी नही थी एव ना ही वर्तमान में नदी का कोई उदगम स्थल अथवा बहाव क्षैत्र है इसी अनुसार खसरा संख्या 991/327 के राजस्व अभिलेख के 1/2 हिस्से में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया जबकि उनका कभी भी कब्जा काश्त एवं मालिकाना अधिकार वर्णित आराजी पर नहीं रहा। भूप्रपंध विभाग के कर्मचारियों को सेटलमेन्ट के दौरा अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर भूमि का रकबा कम करने का कोई अधिकार नहीं था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की संपूर्ण 45 बीघा कृषि भूमि पर आकर उनमें से 8 बीघा 5 बीस्वा अर्थात 1.31 हैक्टर कृषि भूमि खसरा संख्या 332 क्षेत्रफल 7.76 हैक्टर के राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन नदी दर्ज होने का कहते हुए अपीलाण्ट को कब्जा हटाने का कहा गया जिस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा बाबत खातेदारी हक घोषणा, रेकर्ड दूरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर मांग की गई कि वक्त सेटलमेन्ट गत खसरा संख्या 373 क्षेत्रफल 45 बीघा का रकबा 8 बीघा 5 बीस्वा अर्थात 1.31 हैक्टर में दर्ज हो गयी है एवं खसरा संख्या 991/327 क्षेत्रफल 0.245 हैक्टर में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 का नाम गलत रूप से दर्ज हो गया है। जबकि वर्णित संपूर्ण 45 बीघा भूमि पर अपीलाण्ट के कब्जे काश्त एवं मालिकाना अधिकार है। तथा अपीलाण्ट की उक्त भूमि के आस–पास कही पर भी नदी का बहाव क्षैत्र अथवा उदगम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् पर किसी प्रकार का गौर किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं रेस्पोडेन्ट को वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने एवं बेचान हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द करावें।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील के तथ्यों का अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 326, 402, 403, 404 कुल रकबा 5.40 हैक्टर भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट की खातेदारी है। खसरा नम्बर 991/327 रकबा 0.49 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जिसमें 1/2 हिस्से में राणाराम पुत्र सोना जी व 1/2 हिस्से में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 05 की खातेदारी है। राणाराम ने 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्ट्री रेस्पोडेण्ट के सहखातेदारो से खरीद की गई है। अपीलाण्ट गैर मुमकिन नदी खसरा नम्बर 332 को दबाना चाहता है। गैर मुमकिन नदी की खातेदारी नही दी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न तो अन्तिम है एवं न ही अंतरिम है अतः अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की, किन्तु इसमें जो दादरसी चाही गई है, वह भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने से सम्बधित है। उक्त आदेशिका दिनांक 08.06.2020 को उद्धरित किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिसमें मातहत अदालत द्वारा यह अंकित किया है कि –

''अधिवक्ता वादी, अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित, राज्य की ओर से भूमिधारी तहसीलदार उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से लगाकर 5 तक नोटिस तामील प्राप्त हुए, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। राज्य की ओर से पक्षकार तहसीलदार द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब हेतु समय मांगने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत मौका जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रस्तुत किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार को जवाब हेतु समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11.06.2020 को पेश हो।''

इस आदेशिका में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है एवं न ही अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील मीमों में उक्त आदेशिका से व्यथित होने के कोई तथ्य अंकित किए है। इस अपील को प्रस्तुत करने के पीछे अपीलाण्ट की मंशा जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में व्यादेश प्राप्त करना प्रतीत होती है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की अपील की परिधि में नही पाया जाता है। ऐसी आदेशिकाओं की सीधे माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी याचिका दायर करवाने के ही प्रावधान हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के श्रवाणाधिकार की नहीं होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज योग्य थी, इसमें पारित अंतरिम व्यादेश दिनांक 09.06.2020 भी विधिक दृष्टि से प्रत्याह्वत किये जाने योग्य हैं। अपील हाजा में अपीलाण्ट की ओर से श्री निम्बाराम चौधरी पुत्र भीमाराम चौधरी को पक्षकार संयोजित कराने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

लिहाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार नहीं होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा पारित अन्तरिम व्यादेश दिनांक 09.06.2020 को प्रत्याहृत किया जाकर अपील खारिज की जाती है। अपील हाजा में अपीलाण्ट की ओर से श्री निम्बाराम चौधरी पुत्र भीमारम चौधरी को पक्षकार संयोजित कराने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न लौटाते हए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त प्रार्थना पत्र का विधि सम्मत निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली